

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां
No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT

संविधान के अनुच्छेद 292 के अधीन, संघ सरकार, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जिसे संसद कानून द्वारा तय करे, गारंटियां दे सकती है। सरकारी कम्पनियों/निगमों, रेलवे, संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं आदि की ओर से (i) उधारों की पुनर्अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी, (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी और न्यूनतम लाभांश की अदायगी, (iii) उधार आदि के आधार पर सामग्री तथा उपस्कर की पूर्ति के लिए करारों के संबंध में अदायगी के लिए संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियों को 31 मार्च, 2011 की स्थिति के अनुसार यहां इस विवरण में दर्शाया गया है। ये गारंटियां भारत की समेकित निधि की आकस्मिक देयताएं होती हैं।

Under article 292 of the Constitution, the Union Government may give guarantees within such limits, if any, as may be fixed by Parliament by law. The statement here shows the position, as on 31st March 2011, of guarantees given by the Union Government for (i) repayment of borrowings and payment of interest thereon, (ii) repayment of share capital and payment of minimum dividend, (iii) payment against agreements for supplies of materials and equipment on credit basis, etc., on behalf of Government companies/corporations, Railways, Union Territories, State Governments, local bodies, joint stock companies, co-operative institutions etc. These guarantees constitute a contingent liability on the Consolidated Fund of India.

गारंटी की अधिकतम राशि जिसके लिए सरकार ने करार किए हैं और 31 मार्च, 2011 को गारंटीकृत बकाया राशियां क्रमशः लगभग ₹160610.84 करोड़ और ₹151292.46 करोड़ थीं।

The maximum amount of guarantee for which Government have entered into agreements, and sums guaranteed outstanding on 31st March 2011 were ₹160610.84 crores and ₹151292.46 crores approximately, respectively.

गारंटियों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मंत्रालय/विभागवार विवरण नीचे दिए गए हैं:—

The Ministry/Department-wise details under different categories of guarantees are given below:—

I (i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेतु दी गई गारंटियां।

I (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई	वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे		
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details		
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation	1633.67 (7)	259.59 (6)	1374.08 (1)	1631.86 (3)	—	—	1.81 (4)	0.53	—	—
वस्त्र मंत्रालय MINISTRY OF TEXTILES	1.50 (1)	1.50 (1)	—	—	—	—	1.50 (1)	—	—	—

(करोड़ रुपयों में) ₹
(In crore of rupees)

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs	18471.40	18471.40	—	1078.65	—	—	17392.75	46.97	46.97	—
	(19)	(19)		(3)			(16)			

उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

MINISTRY OF CONSUMER

AFFAIRS, FOOD AND

PUBLIC DISTRIBUTION

	34495.00	34495.00	—	—	—	—	34495.00	*—	—	—
	(2)	(2)					(2)			

उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry	780.95	772.90	8.05	93.98	—	—	686.97	11.02	3.81	—
	(26)	(25)	(1)	(1)			(25)			

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

**MINISTRY OF MICRO, SMALL
AND MEDIUM ENTERPRISES,
KHADI & VILLAGE
INDUSTRIES COMMISSION**

(KVIC)	295.54	295.54	—	3.00	—	—	292.54	57.47	—	—
	(1)	(1)					(1)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

**MINISTRY OF CHEMICALS
AND FERTILISERS—**

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and

Petrochemicals	2.55	2.55	—	—	—	—	2.55	**—	—	—
	(1)	(1)					(1)			

* मंत्रालय ने अपने दिनांक 25.4.2008 के पत्र द्वारा सरकार द्वारा निष्पादित एकल डिफाल्ट गारंटी के लिए देय गारंटी शुल्क को माफ कर दिया है।

* Ministry vide its letter dated 25.4.2008 has waived the guarantee fee payable towards single default guarantee executed by the Government.

** गारंटी, पेट्रोफिल्ल्स को-आपरेटिव लि., जो परिसमापन के अधीन है, के संबंध में दी गई है।

** The guarantee is given in respect of Petrofills Co-operative Ltd., which is under liquidation

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged	Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	(करोड़ रुपयों में) ₹ (In crore of rupees)
फार्मास्युटिकल्स विभाग Department of Pharmaceuticals	1023.84 (5)	1008.12 (5)	^15.72	—	—	—	1023.84 (5)	56.83	—	—
इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	120.00 (2)	120.00 (2)	—	—	—	—	120.00 (2)	1.20	1.20	—
जल संसाधन मंत्रालय MINISTRY OF WATER RESOURCES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*2.59

^ ₹15.72 करोड़ ब्याज का अंश है जिसे गारंटी राशि में जोड़ दिया गया है।

^ ₹15.72 Crore is the interest portion which has been added to the Gurantee amount

* गारंटी शुल्क की अदायगी देय तारीख को न किए जाने के लिए जुर्माना लगाने से संबंधित है। इसको माफ करने के लिए एक प्रस्ताव आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

* Pertains to levy of Penalty for not making payment of Guarantee fee on due dates. A proposal for its waiver is under consideration of DEA, M/o Finance

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE	255.46	*255.46	—	—	—	—	255.46	64.98	**64.98	—
	(1)	(1)					(1)			

(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

(ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: —

कृषि मंत्रालय—

MINISTRY OF AGRICULTURE—

कृषि और सहकारिता विभाग

Department of Agriculture and

Cooperation

136.28	136.28	—	66.28	—	—	70.00	—	—	—
(4)	(4)		(2)			(2)			

रसायन और उर्वरक मंत्रालय—

MINISTRY OF CHEMICALS AND

FERTILISERS—

रसायन और पेट्रो रसायन विभाग

Department of Chemicals and

Petro Chemicals

100.00	100.00	—	—	—	—	100.00	1.00	1.00	—
(1)	(1)					(1)			

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER	244.00	244.00	—	119.00	—	—	125.00	0.31	0.31	—
	(8)	(8)		(4)			(4)			

वित्त मंत्रालय —

MINISTRY OF FINANCE —

आर्थिक कार्य विभाग

Department of

Economic Affairs

3824.44	2325.60	1498.84	838.01	—	—	2986.43	1.84	4.32	—
(28)	(25)	(3)	(11)			(17)			

* हिन्दुस्तान शिपायर्ड लि. को दी गई गारंटी पिछले वर्ष पोत परिवहन मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय को स्थानांतरित की गई।

* Guarantee given to Hindustan Shipyard Limited was transferred from Ministry of Shipping to Ministry of Defence last year.

** शाश्वतता में ब्याज रहित ऋण के रूप में परिवर्तित।

** Converted as loan in perpetuity with no interest.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT
 सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्त्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय — MINISTRY OF INDUSTRY — भारी उद्योग विभाग Department of Heavy Industry	137.28 (2)	137.28 (2)	—	122.28 (1)	—	—	15.00 (1)	—	—	—
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	5579.22 (17)	5579.22 (17)	—	*1460.40	—	—	4118.82 (17)	—	—	—
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS	59.08 (4)	59.08 (4)	—	—	—	—	59.08 (4)	0.59	0.59	—

* विलोपित गारंटी राशि भारतीय खाद्य निगम द्वारा एफ सी आई बांडों के संबंधित निवेशकों को वापस की गई बड़ी गारंटी का हिस्सा है।

* Amount of Guarantee deleted is part of a large guarantee returned by FCI to the concerned investor of FCI bonds.

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	413.40 (3)	413.40 (3)	—	—	—	—	413.40 (3)	4.13	4.13	—
आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	153.10 (5)	153.10 (5)	—	76.10 (3)	—	—	77.00 (2)	0.28	*0.27	—
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MINISTRY OF COMMUNICATION AND INFORMATION TECHNOLOGY										
दूरसंचार विभाग DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS	7.10 (1)	7.10 (1)	—	5.00	—	—	2.10 (1)	46.67	—	—
(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्दायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज/वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों/पतन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति के लिए करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसार दी गई गारंटियां:-										
(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-										
नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVILAVIATION	19484.70 (19)	18988.04 (16)	496.66 (3)	1434.92 (3)	—	—	18049.78 (16)	105.68	105.68	—
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	2208.88 (5)	2208.88 (5)	—	157.68	—	—	2051.20 (5)	22.88	24.01	—
विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	19837.50 (40)	17196.84 (40)	#2640.66	^1102.19 (3)	—	—	18735.31 (37)	212.06	212.06	—

- * हुडको ने वर्ष 2009-10 के दौरान ₹0.0025 करोड़ का अधिक भुगतान किया जिसे इस वर्ष में समायोजित कर दिया गया है।
* HUDCO paid ₹0.0025 Crore in excess during the year 2009-10 which has been adjusted this year
₹600.89 करोड़ की राशि शामिल है जो मुद्रा दरों में विनिमय की घटबढ़ के कारण है।
Includes an amount of ₹600.89 crore which is due to exchange variation in currency rates.
^ ₹72.84 करोड़ की राशि शामिल है जो मुद्रा दरों में विनिमय की घटबढ़ के कारण है।
^ Includes an amount of ₹72.84 crore which is due to exchange variation in currency rates.

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-जारी

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Contd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वित्त मंत्रालय — MINISTRY OF FINANCE — आर्थिक कार्य विभाग										(करोड़ रुपयों में) ₹ (In crore of rupees)
Department of Economic Affairs	48091.20 (83)	31573.00 (75)	16518.20 (8)	*1061.62	—	—	47029.58 (83)	66.77	19.35	—
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES										
राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	61.39 (3)	58.51 (3)	^2.88	2.21	—	—	59.18 (3)	#0.57	—	—
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	619.55 (1)	619.55 (1)	—	5.85	18.06	—	595.64 (1)	1.55	1.55	—

* वर्ष के दौरान विलोपन/परिवर्धन विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण है।

* Deletion/Addition during the year is due to exchange rate fluctuation.

^ इसमें विनिमय लाभ के कारण ₹2.47 करोड़ की राशि शामिल है।

^ It includes an amount of ₹2.47 crore on account of exchange gain.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय ने अपने 27.2.2008 के पत्र द्वारा गारंटी शुल्क देयता को माफ/बट्टे खाते डाल दिया है।

Ministry of MSME vide its letter dated 27.2.2008 waived/written off guarantee fee liability.

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

**MINISTRY OF NEW AND
RENEWABLE ENERGY**

888.61	697.77	190.84	23.05	—	—	865.56	27.53	27.53	—
(5)	(4)	(1)				(5)			

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

454.63	454.63	—	*3.94	—	—	450.69	1.11	1.11	—
(2)	(2)					(2)			

आवास और शहरी गरीबी निवारण मंत्रालय

MINISTRY OF HUPA

609.61	609.61	—	14.30	—	—	595.31	**5.09	5.09	—
(2)	(2)					(2)			

(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों/दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों/निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति-गारंटियां:-

(iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय

MINISTRY OF STEEL

610.36	610.36	—	—	—	—	610.36	32.94	6.10	—
(8)	(8)					(8)			

उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF INDUSTRY —

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry

10.60	10.60	—	—	—	—	10.60	—	—	—
(1)	(1)					(1)			

(v) कम्पनियों, निगमों द्वारा देय राशियों/भाड़ा प्रभारों के समय पर भुगतान हेतु रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों को दी गई गारंटियां:-

(v) Guarantees given to Railways/State Electricity Boards for due and punctual payment of dues/freight charges by Companies, Corporations: —

— शून्य / NIL —

* विदेशी मुद्रा में बदलाव के कारण।

* Due to foreign exchange variation

** सीएएए कार्यालय, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्राप्त

** Received by O/o CAAA, Ministry of Finance, D/o Economic Affairs

वित्त लेखे, संघ सरकार
FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सं. 4-संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां-समाप्त

No. 4-GUARANTEES GIVEN BY THE UNION GOVERNMENT--Concl'd.

मंत्रालय का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान याचित के अलावा)	वर्ष के दौरान मांगी गई		वर्ष के अंत में बकाया	गारंटी कमीशन अथवा फीस	अन्य तात्विक ब्योरे	
Name of Ministry	Maximum Amount Guaranteed during the year	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked during the year)	Invoked during the year		Outstanding at the end of the year	Guarantee Commission or Fee	Other material details	
					उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(vi) विदेशों में भारतीय कम्पनियों को दिए गए ठेकों / परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां:-

(vi) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to Indian companies in foreign countries: —

(करोड़ रुपयों में) ₹
(In crore of rupees)

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

— — — — — — — *1.50 — —

उद्योग मंत्रालय —

MINISTRY OF INDUSTRY

भारी उद्योग विभाग

Department of Heavy Industry

— — — — — — — 0.17 — —

(vii) विदेशों में विदेशी कम्पनियों को दिए गए ठेकों/परियोजनाओं को पूरा करने हेतु दी गई निष्पादन गारंटियां :-

(vii) Performance guarantees given for fulfilment of contracts/projects awarded to foreign companies in foreign countries:-

—शून्य / NIL —

viii) कोई अन्य—

viii) Any Other: —

—शून्य / NIL —

* यह ओमनीवस गारंटी जो पहले ही अभ्यर्पित की जा चुकी है, के संबंध में गारंटी शुल्क को दर्शाता है। गारंटी शुल्क की अदायगी न किए जाने संबंधी मामला वित्त मंत्रालय के पास लंबित है।

* It Represents guarantee fee in respect of Omnibus guarantee which has already been surrendered. Matter regarding non-payment of it is pending with Ministry of Finance.